राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर-3 फोन : 312402

डिक्री के निष्पादन के लिये आवेदन–पत्र

(आदेश 21 का नियम 11)

न्यायालय श्रीमान उपखण्ड कलेक्टर स्थान टोडाभीम

मैं प्रार्थी डिक्रीदार, इसके द्वारा नीचे दी गई डिक्री के निष्पादन के लिये आवेदन करता हूं :–

वाद का संख्यांक	पक्षकारों के नाम	डिक्री की तारीख	क्या डिक्री की कोई अपील की गई है	यदि कोई संदाय या समायोजन किया गया है तो वह संदाय या समायोजन	यदि पहले कोई आवेदन किया गया है तो उसकी तारीख और परिणाम	डिक्री की रकम उस पर शोध्य ब्याज के सहित या एतद्द्वारा अनुदत्त अन्य अनुतोष प्रति डिक्री की विशिष्टियों के सहित	यदि खर्चों मद्धे कोई रकम अधिनिर्णीत की गई है तो वह रकम	किसके विरुद्ध निष्पादन किया जाए	वह ढंग जिससे न्यायालय की सहायता अपेक्षित है
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2025	रामप्रसाद पुत्र जोहरी जाति मीणा निवासी [illegible] तह बामनवास जिला [illegible] बनाम 1 हरकेश 2 [illegible] पुत्रगण रामप्रसाद 3 [illegible] 4 [illegible] 5 [illegible] पुत्रीगण रामप्रसाद 6 [illegible] 7 [illegible] पुत्रगण जोहरी मीणा निवासी [illegible] तह बामनवास	11.11.2025	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	प्रतिवादीगण के विरुद्ध	मौके पर कब्जा दिलाया जावे

दिनांक ....

हस्ताक्षर .... [signature]

डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 ल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अ अदाल उपखण्ड अ कारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम

पीठासीन अधिकारीः– अमन चौधरी आर.ए.एस

उनवान

रामप्रसाद पु जोहरी ाति मीना नि सी किरवाडा तहसील बालघाट जिला करौली राज0

वादी

वनाम

1. हरकेश पुत्र रामप्रसाद — समस्त जाति मीना,
2. छुट्न पुत्र रामप्रसाद — निवासी किरवाडा
3. गेले पुत्री रामप्रसाद — तह0 बालघाट
4. फूल पुत्री रामप्रसाद — जिला करौली राज0
5. हस बाई पुत्र रामप्रसाद
6. बाबूलाल पुत्र जौहरी
7. राम रण पुत्र जौहरी
8. अर ली क्षेत्रीय ग्रामीण बैं श्रीमहावीरजी जरिये मैनेजर अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक श्री हावीरजी जिला करौली राज0
9. त ीलदार तहसील बाल ट जिला करौली राज0

प्रतिवादीगण

दावा बाब इस्तकरारहक एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88 , 188 आर0 टी0 एक्ट

मु0न0ः– 74/2025

यह मुक ा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री सुरेश चन्द शर्मा एवं श्री मावतार शर्मा एडवोके एवं श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट एवं हमारे मिनजानिब .... मुदायलह पेश होक हुक्म दिया जाता है, व डिकी दी जाती है कि

अतः आ जी ख0नं0 271 रकबा 0.22 है0 ख0नं0 274 रकबा 0.30 है0 ख0नं0 रकबा .38 है0 कुल कता 3 कुल रकवा 0:90 है0 ग्राम किरवाडा तह0 बालघाट में से प्रति दीगण 1 ता 5 का न हजफ फरमाया जाकर वादी को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तव र घोषित किया जाता शेष हिस्सा पुर्वानुसार रहेंगा । इसी प्रकार आराजी ख0नं0 108 रकबा 0.15 है0 ख0नं0 1 9 रकबा 0.17 है0 ख0नं0 140 रकबा 0.50 है0, ख0नं0 141

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि

उप जिला कलक्टर
भीम, जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

रकबा 0.26 है0, ख0नं0 14[illegible] रकबा 0.0[illegible] [illegible]0, ख0नं0 1562 रकबा 0.11 है0, ख0नं0 1563 रकबा 0.11 है0, [illegible]0नं0 1565 रकबा 0.1[illegible] है0, ख0नं0 1607 रकबा 0.11 है0, कुल किता 9 कुल रकबा 1.64 [illegible]0 ग्राम अययापुर तह[illegible] बालघाट मे से प्रतिवादी नं0 1 ता 5 का नाम हजफ फरमाकर व[illegible]दी को को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष हिस्सा पूर्वानुसार [illegible]गा।

नि.......... ......मुबलिंग..... ....बाबत.........................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशर............. ....फीसदी सा[illegible]ना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक........ .....अदा करे।

बसब मेरे दस्तखत व मुहर [illegible]दालत के आज दिनांक 11.11.2025 को जारी की गई

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

मुद्दई		रूपया	
स्टाम्प अर्जी दावा			
स्टाम्प वकाल नामा			
स्टाम्प वजह सबूत			
महनताना वकील			
खर्चा गवाहान			
फीस कमीश्नर			
ववत इजराय हुक्मनामा			
मुतफरिक			

	मुदायला	रूपया	पैसे
	स्टाम्प अर्जी दावा		
	स्टाम्प अर्जी		
	म्हनताना वकील		
	खर्चा गवाहान		
	फीस कमीश्नर		
	वावत इजराय हुक्मनामा		
	मुतफारिक		

[illegible] संख्या 541
[illegible]नाम आवेदक सुरेश चन्द्र [illegible]
[illegible]प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक [illegible]
[illegible]नकल तैयार होने का दिनांक [illegible]
[illegible]नकल देने का दिनांक [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि
उप जिला कलक्टर
[illegible], जिला करौली

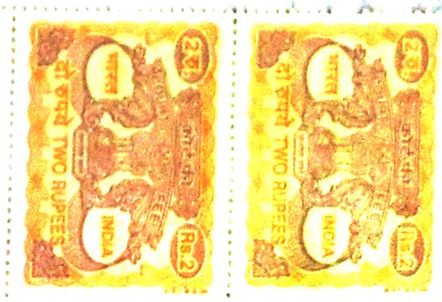

न्यायाल । उपखण्ड अधिक री एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम

मु.नं.:— 74/2025 तारीख रजू :— 03.07.2025

पीठासीन अधिकारी :— अमन चौधरी आर.ए.एस.

रामप्रसाद पुत्र जोहरी जाति मी निवासी किरवाडा तहसील बालघाट जिला करौली राज0

वादी

वनाम

1. ह केश पुत्र रामप्रसाद — समस्त जाति मीना,
2. छ ट्टन पुत्र रामप्रसाद — निवासी किरवाडा
3. तो पुत्री रामप्रसाद — तह0 बालघाट
4. फूलो पुत्री रामप्रसाद — जिला करौली राज0
5. हसनबाई पुत्र रामप्रसाद
6. बाबूलाल पुत्र जौहरी
7. रामचरण पुत्र जौहरी
8. अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक श्रीमहावीरजी जरिये मैनेजर अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक श्रीमहावीर जिला करौली राज0
9. तहसीलदार तहसील ब घाट जिला करौली राज0

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् इस्तकरारहक एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत ारा 88 , 188 आर0 टी0 एक्ट

उपरि त :— 1 श्री सुरेश च द शर्मा एडवोकेट वादी

2 श्री रामोतार र्मा एडवोकेट प्रतिवादी 1 ता 7

पैरोकार सर ार तहसीलदार टोडाभीम

निर्णय दिनांकः— **11.11.2025**

वादी द्वा । प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वर्त ान खाता संख्या 1 , जमाबन्दी सम्वत् 2073—2076 ग्राम किरवाडा की आराजी खसरा नम्बर 270 र वा 0.22 है0, 274 रकवा 0.30 है0, 9 रकवा 0.38 है0 कुल कि ता 3 कुल रकवा 0.) है0 ग्राम किरवाडा तहसील बालघाट में स्थित है।

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

उक्त आरा । रेवेन्यू रिकार्ड में प्र वादीगण 1 ता 5 प्रत्येक बहिस्सा 1/15, 1/15 तथा प्रतिव ी नं0 ७ ता 7 प्रत्ये बहिस्सा 1/3, 1/3 के नाम रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज है।

वर्तमान ख ा संख्या 88 जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 ग्राम अय्यापुर आराजी खसरा नम्बर 108/0.15, 109/0.17, 140/0.50, 141/0.26, 1485/0.09, 1562/0.11, 1563/0.11, 1565/0.14, 1607/0.11, कुल किता 9 कुल रकब 1.64 है0 ग्राम अय्यापुर में स्थित है। उक्त आराजी वर्तमान रेवेन्यू रिकार्ड में प्रतिवादीगण 1 ता 5 प्रत्येक बहिस्सा 1/20, 1/20 तथा प्रतिवादी नं0 6 ता 7 प्रत्ये क बहिस्सा 1/4, 1/4 व वादी एवं प्रतिवादी नं0 6 व 7 की मृतक मां छोटी देवी बहिस्सा 1/4 के नाम रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादी नं0 6 व 7 के पिता का नाम जौहरी पुत्र विशन्या था तथा जोहरी की विरासत हम वादी व प्रतिवादी नं0 6 व 7 व हमारी मृतक मा छोटी के नाम खुली जो जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 ग्राम किरवाडा के खाता संख्या 181 से स्पष्ट है। इसी प्रकार जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 ग्राम अय्यापुर के खाता संख्या 85 से स्पष्ट है जबकि जबकि प्रतिवादीगण 1 ता 5 के पिता रामप्रसाद पुत्र जौहरी था लेकिन रेवेन्यू कर्मचारियों पटवारी हल्का द्वारा वादी की आराजी जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 में ग्राम अय्यापुर के खाता संख्या 85 व जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 ग्राम किरवाडा के खाता संख्या 181 का वादी का नाम की खातेदारी की आराजी वादी के जीवित रहते हुये वादी की विरासत प्रतिवादीगण 1 ता 5 के पिता की अन्य आराजी के खातों के साथ शामिल करते हुये ग्राम अय्यापुर का नामान्तकरण संख्या 269 दिनांक 18.04.2023 व ग्राम किरवाडा का नामान्तकरण संख्या 635 दिनांक 10.03.2023 को भरा जाकर दिनांक 04.05.2023 तस्दीक फरमाकर खातेदारी प्रतिवादीगण 1 ता 5 के नाम कर दी है जो बिल्कुल गलत की है उक्त आराजी वादी के पिता के नाम ही रही है तथा उक्त आराजी पर वादी व उसके भाई रामचरण व-बाबूलाल हमेशा अपने पिता के जमाने से काबिज चले आ रहे है तथा आज भी काबिज है। मगर रेवेन्यू कर्मचारियों द्वारा बिना किसी अधिकार व बिना न्यायालय के किसी आदेश के वादी के कब्जे व खातेदारी की भूमि का वादी के जीवित रहते हुये विरासत का नामान्तकरण प्रतिवादीगण 1 ता 5 के नाम दर्ज करते खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम कर दी है। जो बमुकाबले वादी शून्य व प्रभावहीन है तथा वादी उक्त आराजी को अपने नाम कराने के मुस्तहक है।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली

मौके पर वा एवं प्रतिवादीगण 1 ता 5 के मध्य कोई विवाद नहीं है। क्योकि वादी आराजी खसरा नम्बर 271/0.22, 274/0.30, 9/0.38, कुल किता 3 कुल रकवा 0.90 है0 ग्राम किरवाडा व इसी प्रकार खसरा नम्बर 108/0.15, 109/0.17, 140/0.50, 141/0.26, 1485/0.09, 1562/0.11, 1563/0.11, 1565/0.14, 1607/0.11, कुल किता 9 कुल रकवा 1.64 है0 ग्राम अय्यापुर तहसील बालघाट पर जमाने पिता के काबिज है। जहां पहले वे काबिज थे आज भी वही काबेज है मगर राजस्व कर्मचारियों की गलती से वादी की खातेदारी के स्थान पर प्रतिवादीगण 1 ता 5 के नाम दर्ज कर दी है। जिसे वादी अपने नाम कराने के वादी मुस्तहक है।

बांका दिनांक 20.06.2025 को सुबह करीब 9 बजे का है कि वादी अपनी आराजी में अगली फसल के लिये सूल बबूल साफ कर रहा था कि प्रतिवादी नं0 1 ता 5 एकराय होकर आ गये तथा कहने ले कि तुम्हारी इस खते में आने की हिम्मत कैसे हुई। इस खते को हमने हमारे नाम करा लिया है इस पर वादी द्वारा उन्हे समझाया कि भाईयों तुम्हारा इस आराजी से कोई संबंध नहीं रहा है। उक्त आराजी हमेशा से हमारी थी तथा आज भी हमारी है। गलती से नामान्तकरणों से तुम्हो नाम हो गयी है तुम तहसील चलकर हमारे नाम करा दो इस पर प्रतिवादी नं0 1 ता 5 यह करने पर कि हम कहीं नहीं जायेगें तुम करा सकते हो तो करालो इसलिये दावा पेश करना लाजमी हुआ है।

दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिकी फरमाया जाकर इस आशय की घोषणा फरमाई जावे कि वादीगण आराजी ख0नं0 271/0.22, 274/0.30, 9/0.38 कुल किता 3 कुल रकवा 0.90 है0 ग्राम किरवाडा में से प्रतिवादी नं0 1 ता 5 का नाम हजफ फरमाकर वादी को बहिस्सा 1/3 का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे व इसी प्रकार खसरा नम्बर 108/0.15, 109/0.17, 140/0.50, 141/0.26, 1485/0.09, 1562/0.11, 1563/0.11, 1565/0.14, 1607/0.11, कुल किता 9 कुल रकवा 1.64 है0 ग्राम अय्यापुर में प्रतिवादी नं0 1 ता 5 का नाम हजफ फरमाकर वादी बहिस्सा 1/4 को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे तथा प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावे कि वादी की उक्त आराजी में कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत नहीं करे, आराजी से वादीगण को बेदखल कर स्वंय कब्जा नहीं करे, आराजी को रहन व्यय नहीं करे, आराजी को खुर्दबुर्द नहीं करे, आराजी को नाकाबिल काश्त नहीं बनावे, ऐसा कोई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला-करौली

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली

कार्य ना तो स्वयं करे, ना ही किसी अन्य से करावे, जिससे हकूक वादीगण पर प्रतिकूल प्रभाव पडे, मौके व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे।

दावा दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया है प्रतिवादीगण स्वंय उपस्थित हुए एवम राजीनामा पेश किया कि उक्त नामांन्तरकरणो में हमारे पिता की खातेदारी के साथ वादी की जमीनो का नामांन्तरकरण भी खोल दिया है उक्त आराजी से हमारा कोई वास्ता नही है वादी के नाम कर दिया जावें तहसीलदार से मौके की रिपोर्ट तलब की गई मैने अधिवक्ता वादी की बहस सुनी वादी के अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यो दोहराते हुए वाद पत्र निवेदन किया कि आराजी विवादग्रस्त पूर्व में वादी व प्रतिवादी नं0 6 व 7 के पिता जौहरी पुत्र विशन्या था तथा जोहरी की विरासत हम वादी व प्रतिवादी नं0 6 व 7 व हमारी मृतक मॉ छोटीदेवी के नाम खुली जो जमावंदी सम्वत 2073–2076 ग्राम किरवाडा के खाता संख्या 181 से स्पष्ट है इसी प्रकार जमावंदी सम्वत 2072–2075 ग्राम अययापुर के खाता संख्या 85 से स्पष्ट है जबकि प्रतिवादीगण 1 ता 5 के पिता रामप्रसाद पुत्र जौहरी था लेकिन रेवेन्यू कर्मचारियो पटवारी हल्का द्वारा वादी की आराजी जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 में ग्राम अययापुर व सम्वत 2073-2076 ग्राम किरवाडा में वादी का नाम की विरासत प्रतिवादीगण 1 ता 5 के नाम का ग्राम अययापुर नामान्तरकरण संख्या 269 दिनांक 18/4/2023 एवम ग्राम किरवाडा का नामान्तरकरण संख्या 635 दिनांक 10/3/2023 को खोल कर खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम कर दी है जो बिल्कुल गलत की है। उक्त आराजी वादी के पिता के नाम ही रही है इसलिए वादी का दावा डिग्री फरमाया जावे।

मैने अधिवक्ता की बहस सुनी गुई। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । अवलोकन ने स्पष्ट होता है कि रेवेन्यू कर्मचारियो द्वारा उक्त आराजीयात का अंकन नामांन्तरकरण में हो गया है इसलिए वादी द्वारा प्रस्तुत दावा स्वीकार योग्य होने से दावा स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः आराजी ख0नं0 271 रकबा 0.22 है0 ख0नं0 274 रकबा 0.30 है0 ख0नं0 9 रकबा 0.38 है0 कुल किता 3 कुल रकवा 0:90 है0 ग्राम

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

किरवाडा ह0 बाल घाट में से प्र ावादीगण 1 ता 5 का नाम हजफ फरमाया जाकर वादी को 1/3 हि स्से का खात ार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष हिस्सा पुर्वानुसार रहेंगा । इसी प्रकार आराजी ख0नं0 108 रकबा 0.15 है0 ख0नं0 109 रकबा 0. 7 है0 ख0नं0 140 र बा 0.50 है0, ख0नं0 141 रकबा 0.26 है0, ख0नं0 1485 र बा 0.09 है0, ख0नं 1562 रकबा 0.11 है0, ख0नं0 1563 रकबा 0.11 है0, ख नं0 156 रकबा 0.1 है0, ख0नं0 1607 रकबा 0.11 है0, कुल किता 9 कुल रक ा 1.64 है0 ग्राम अय ापुर तह0 बालघाट मे सें प्रतिवादी नं0 1 ता 5 का नाम हज फ फरमाकर वादी को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष हिस्सा पूर्वानुसार रहेगा। तहसीलदार बालघाट तत्कालीन पटवारी के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही कर इस डिकी के 60 दिनों में न्यायालय को अव त करा । पर्चा डिकी जारी हो।

यह नि र्णय दिनांक 11.11.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया

(अमन चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

541
1— आवेदक — सुरेश चन्द व0
3—प्रा0 पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक — 29/12/025
4— नकल तैयार होने का दिनांक — 30/12/025
5— नकल देने का दिनांक — 30/12/025
कुल स्टाम्प — 10=00

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली